सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 92 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–21.06.2024

GCMS ID–2024 / 121

उनवान

1. अंकिता त्रिवेदी पत्नी पुरूषोत्म गौतम जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी ब्रहमाकुंज, बून्दी जिला बून्दी राज0
2. राममूर्ति गौतम पत्नी गंगाधर शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलोनी ब्रहमाकुंज, बून्दी जिला बून्दी राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता उदालाल जाति गुर्जर निवासी चतरगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. उदी पुत्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी चतरगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111,.128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री महेश सोमाणी, गोपाल गुप्ता

वकील अप्रार्थीगण :– शम्भूदयाल शर्मा अप्रार्थी सं0–1 व 2

आदेश

दिनांक : 26.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या 216 खसरा संख्या 1748 / 353, 1749 / 354, 1750 / 358, 352, 355, 356 कुल किता 6 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 217 के खसरा सख्या 1770 / 352, 1771 / 353 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 274 खसरा संख्या 353, 354, 358, 359 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6232 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 275 खसरा संख्या 357 कुल किता 1 कुल रकबा 0. 0647 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरगंज पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है। जिसमें प्रार्थीग़ण का हिस्सा बराबर बराबर निहित है। जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाध रूप से शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सलंग्न है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के अगल बगल अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 की भूमिया है अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 कई बार सीमा संबंधी विवाद करते है तथा प्रार्थी की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है। जबकि अपने खाते दर्ज भूमि में ही खेती कर

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रहे है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है तथा प्रार्थीगण ने दिनांक 27.05.2023 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया पश्रनतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 उक्त सीमाज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है तथा दिनांक 27.05.2024 को प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 ने धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे और तुम्हारी सीमाओं पर लगी मेड को नष्ट करेगे और तुम्हे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देगे। प्रार्थीगण खर्चा पत्थरगढी वहन करने हेतु तैयार है। अन्यथा मौके पर अनावश्यक तनाव होगा एवं मुकदमें बाजी बढेगी। राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी संख्या 3 को बनाया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खाते की भूमि खाता संख्या 216 खसरा संख्या 1748/353, 1749/354, 1750/358, 352, 355, 356 कुल किता 6 कुल रकबा 0.6070 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 217 के खसरा सख्या 1770/352, 1771/353 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0243 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 274 खसरा संख्या 353, 354, 358, 359 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6232 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 275 खसरा संख्या 357 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरगंज पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि विवादित भूमियॉ ग्राम चतरगंज में होना स्वीकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की किस भूमि समीप कौनसे खसरा नम्बर अप्रार्थीगण की भूमियों के है, अंकित नहीं किए है जबकि प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से अभिवचन करना चाहिए कि प्रार्थीगण की भूमि के समीप अप्रार्थीगण की फला–फला खसरा की भूमिया है, प्रार्थना पत्र में कानूनी नुक्स होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहिए था, बिना सीमाज्ञान के पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 व 5 न्यायालय से सम्बन्धित होना व चरण संख्या 6 कानूनी होना अंकित कर विशेष कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है और प्रार्थीगण ने उक्त भूमि

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बरीद की है लेकिन प्रार्थीगण के विक्रेता का कभी उक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। इस प्रकार कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाकर, पत्थरगढी की आड में भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जबकि प्रार्थीगण का व प्रार्थीगण के विक्रेतागण का उक्त भूमि पर उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार भी सदैव के लिए अवधि बाधित होकर नष्ट हो चुका है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं होने से कब्जा लेने का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के पत्थरगढी कराने का प्रावधान नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम चतरगंज पटवार मण्डल चतरगंज तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 216 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 216 के खसरा सं0 1748/353 रकबा 0.1052 है0, खसरा सं0 1749/354 रक़बा 0.1133 है0, खसरा सं0 1750/358

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रकबा 0.0324 है0, खसरा सं0 352 रकबा 0.1619 है0, खसरा सं0 355 रकबा 0.1214 है0, खसरा सं0 356 रकबा 0.0728 है0 वाके ग्राम चतरगंज पटवार मण्डल चतरगंज तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

26/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली